



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्राङ्क : कु.सं.5260/2024

दिनाङ्क : 10 जुलाई, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

विश्वविद्यालयीय संकायाध्यक्षों की आहूत बैठक दिनांक 01.04.2024 के विन्दु संख्या-11 पर सम्यक् विचार-विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय आदेश संख्या कु.सं. 2345/2024, दिनांक 03.03.2024 द्वारा जारी आदेश को निरस्त करते हुए शासनादेश एवं अधिनियम/परिनियम का अनुपालन करते हुए जिला मुख्यालय पर साक्षात्कार कराने हेतु निर्देश जारी किया जाय, तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को उक्त आदेश की सूचना दी जाय।

उक्त के अनुपालन में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनुदानित महाविद्यालयों के अध्यापकों पूर्व निर्गत विश्वविद्यालय कार्यालय ज्ञाप संख्या कु.सं. 2345/2024, दिनांक 03.03.2024 निरस्त किया जाता है।

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।


(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, कुलपति को मा. कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. अनुदानित महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक को उपरोक्त के अनुसार कार्यवाही कराने हेतु।
5. सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से कि समस्त अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्रबन्धक को उनके लॉगिन आई.डी. के माध्यम से सूचित कराने हेतु।
6. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. अधीक्षक, सम्बद्धता/प्रशासन।
8. श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, विधि अधिकारी।
9. सम्बद्ध पत्रावली।


10/7/2024
(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव